उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2,
संख्या- 16/2023/848/94-स्टा0नि0-2-2023
लखनऊ: दिनांक- 26 जून, 2023

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला आगरा में थीम पार्क स्थापित करने के प्रयोजनार्थ ग्राम-रहनकला में स्थित 173.4292 हे0 भूमि और ग्राम-रायपुर में स्थित 59.5219 हे0 भूमि अर्थात् कुल 232.9511 हे0 भूमि को आगरा विकास प्राधिकरण से यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पक्ष में अन्तरित किये जाने के आशय से निष्पादित किये जाने वाले लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या: 16/2023/848/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 26 जून, 2023

हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 26 जून, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

रवीश गुप्ता
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या: 16/2023/848/94-स्टा0नि0-2-2023, दिनांक: 26 जून, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5- मण्डलायुक्त, आगरा, उ0प्र0।
6- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
7- जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) आगरा, उ0प्र0।
8- विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the C onstitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 16 /2023/848/94-S.R.-2-2023 dated 26 June, 2023

Notification

Order

No. 16 /2023/848/94-S.R.-2-2023

Lucknow, dated 26 June, 2023

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time, in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to remit the Stamp Duty, Payable on the instrument to be executed in favour of UPSIDC purporting for transfer of 173.4292 hectares of land situated at village-Rahankala and 59.5219 hectares of land situated at village-Raipur, total 232.9511 hectares of land from the Agra Development Authority, for the purpose of establishment of Theme Park in District Agra.

By order,

Leena Johri
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।